

POSTEL BALLOT डाक मत पत्र से मतदान कैसे करे

- ▶ सर्वप्रथम आपको जारी पोस्टल बैलट डाक मत पत्र के लिफाफे को सावधानी पूर्वक खोलें। लिफाफे से प्राप्त निर्देश पत्रक को सावधानी पूर्वक पढ़ें
- फॉर्म '13A' घोषणा पत्र भरकर गजेटेड ऑफिसर / PRO से Attested कराये।
- मतपत्र पर अपने उम्मीदवार के नाम/चुनाव चिन्ह पर पेन से टिक लगाये।
- ▶ लिफाफे 13 B पर मत पत्र का क्रमांक सहित आवश्यक सूचनाएँ लिखें।
- इस मतपत्र को लिफाफे 13B में डालकर लिफाफे को गोंद से चिपका दें।
- ▶ अब फॉर्म '13 A' व लिफाफे '13 B' को एक साथ लिफाफे '13 C' में रखकर गोंद से चिपका दें।
- अब लिफाफे '13 C' को मतदान पेटी में डाल दें।

विशेष सावधानियाँ -----

- ♣ 13A घोषणा फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें।
- ♣ 13A घोषणा फॉर्म को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपका डाक मत पत्र निरस्त हो जाएगा।
- ♣ दोनों लिफाफे पर आवश्यक सूचनाओं अंकित की जानी हैं। इसके अभाव में आपका डाक मत पत्र निरस्त हो जाएगा।
- ♣ मतपत्र पर केवल पेन से टिक का निशान लगाये। किसी अन्य प्रकार का निशान अथवा हस्ताक्षर करने से आपका मत पत्र निरस्त हो जाएगा।
- ♣ किसी भी स्थिति में घोषणा पत्र 13A को मतपत्र के लिफाफे 13B में नहीं डालें। ऐसा करने से आपका मत पत्र निरस्त हो जाएगा।